**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1663

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**सीखने में असमर्थता वाले बच्चे**

**1663. श्री तिरुची शिवाः**

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सीखने संबंधी असमर्थता वाले कितने बच्चों का नामांकन कराया गया है;

(ख) बच्चों में सीखने संबंधी असमर्थता के बारे में जागरुकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे बच्चों के शिक्षकों और माता-पिता को परामर्श प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क): प्राथमिक, उच्‍च प्राथमिक, माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक स्‍कूलों में सीखने संबंधी असमर्थता वाले बच्‍चों का राज्‍यवार नामांकन का ब्‍यौरा संलग्‍न है।

(ख) और (ग): सीखने संबंधी असमर्थता सहित असमर्थता वाले बच्‍चों के लिए जागरूकता और संवेदनशीलता उत्‍पन्‍न करने के लिए, समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना में अभिभावकों, प्रधानाचार्यों, अध्‍यापकों और समुदाय के लिए उन्‍मुखी कार्यक्रम और पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम जैसे विभिन्‍न कार्यकलाप करने की व्‍यवस्‍था है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 8731 पर्यावरण निर्माण कार्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं जिनमें अभिभावक/समुदाय परामर्श शामिल है। इसके अतिरिक्‍त, अब तक 6,17,271 प्रधानाचार्यों, शैक्षणिक प्रशासकों, अभिभावकों/माता-पिता के लिए उन्‍मुखी कार्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा, योजना के तहत सीखने में असमर्थता सहित असमर्थता के विभिन्‍न पहलुओं पर शिक्षकों के संवेदीकरण हेतु पाठ्यचर्या अनुकूलन पर सामान्‍य शिक्षकों को प्रशिक्षण भी अनुमोदित है।

**\*\*\*\*\***

**संलग्नक**

**''सीखने में असमर्थता वाले बच्चे'' के संबंध में श्री तिरुची शिवा द्वारा दिनांक 27.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 1663 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित संलग्‍नक।**

|  |
| --- |
|  |
| **क्र. सं** | **राज्य का नाम** | **प्राथमिक****(कक्षा 1 से कक्षा 5 तक)** | **उच्च प्राथमिक****(कक्षा 6 से कक्षा 8 तक)** | **माध्यमिक****(कक्षा 9 से कक्षा 10 तक)** | **उच्‍चतर माध्‍यमिक (कक्षा 11 से कक्षा 12 तक)** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 6950 | 3258 | 854 | 0 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 212 | 75 | 34 | 0 1 |
| 4 | असम | 3740 | 1072 | 284 | 66 |
| 5 | बिहार | 9951 | 2594 | 42  | 09 |
| 6 | चंडीगढ़ | 203 | 405 | 140 | 0 5 |
| 7 | छत्तीसगढ | 7662 | 4418 | 70 | 0 7 |
| 8 | दादर और नागर हवेली | 0 7 | 0 2 | 0 | 0 |
| 9 | दमन और दीव | 0 | 0 1 | 0 | 0 |
| 10 | दिल्ली | 733 | 631 | 197 | 16 |
| 1 1 | गोवा | 332 | 753 | 259 | 46 |
| 12 | गुजरात | 8938 | 5996 | 226 | 74 |
| 13 | हरि‍याणा | 1230 | 734 | 231 | 23 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 1208 | 592 | 228 | 10 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 786 | 491 | 120 | 27 |
| 16 | झारखंड | 2733 | 965 | 58 | 7 |
| 17 | कर्नाटक | 2537 | 2144 | 533 | 12 |
| 18 | केरल | 6027 | 6122 | 4769 | 746 |
| 19 | लक्षद्वीप | 27 | 27 | 0 2 | 0 1 |
| 20 | मध्यप्रदेश | 10594 | 7525 | 79 | 28 |
| 21 | महाराष्ट्र | 22,188 | 11716 | 3025 | 885 |
| 22 | मणिपुर | 46 | 0 5 | 0 1 | 0 |
| 23 | मेघालय | 136 | 73 | 16 | 0 |
| 24 | नागालैंड | 194 | 91 | 0 6 | 0 |
| 25 | ओडिशा | 3132 | 1306 | 166 | 0 2 |
| 26 | पांडिचेरी | 25 | 26 | 12 | 0 3 |
| 27 | पंजाब | 8210 | 2393 | 210 | ० ९ |
| 28 | राजस्थान | 14857 | 6746 | 211 | 55 |
| 29 | सिक्किम | 29 | 0 5 | 0 | 0 |
| 30 | तमिलनाडु | 1203 | 790 | 588 | 233 |
| 31 | तेलंगाना | 5688 | 2011 | 677 | 0 |
| 32 | त्रिपुरा | 47 | 16 | 0 7 | 0 1 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 17,892 | 5513 | 146 | 50 |
| 34 | उत्तरांचल | 658 | 282 | 42 | 0 4 |
| 35 | पश्चिम बंगाल | 1731 | 586 | 208 | 59 |
| **भारत** | **139,908** | **69,367** | **13,442** | **2379** |

**स्रोत:- यूडाइस 2016-17**

**\*\*\*\*\***